न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— **18 / 2019 अपील सू.प्र.**

उनवान

पीरू मोहम्मद पुत्र जानी मोहम्मद नीलगर, निवासी फुलियाकलां जिला भीलवाडा	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा
——अपीलार्थी		——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :— अपीलार्थी उपस्थित नहीं
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 04.04.2019

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा के विरूद्ध दिनांक 12.03.2019 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत एक आवेदन दिनांक 20.02.2019 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 20.02.2019 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 19.03.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा द्वारा पत्रांक / सूचना प्रकोष्ठ / 2019 दिनांक 03.04.2019 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार पंचायत अनुभाग द्वारा अपने पत्रांक / एफ–24–3 / पंचायत / 2019 / 44410 दिनांक 26.02.2019 से अपीलार्थी को सूचना डाक द्वारा प्रेषित कर दी गयी ।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी को पंचायत अनुभाग द्वारा सूचना प्रेषित कर दिए जाने से अपील प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्षकारान् को प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 04.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा